न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11-7-2025	राजस्व विविध प्रार्थना संख्या : 157/2024 अशोक बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम	

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का पेश कर कथन किया कि ग्राम शेखानाडा तहसील लूणी के खसरा नंबर 299 रकबा 3.1565 एवं ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी के खसरा नंबर 381/1 रकबा 4.4677 हैक्ट. व 383 रकबा 4.7834 हैक्ट. की पैतृक, कब्जाकाश्त एवं सहखातेदारी कृषि भूमि आई हुई है जो कि अपने पिता से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है। कृषि भूमि की जमावंदी में प्रार्थी का नाम लिपिकीय त्रुटि के कारण आसूराम दर्ज किया गया जवकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक पहचान का नाम अशोक पुत्र मोतीराम है। प्रार्थी का अन्य सभी दस्तावेजों में नाम अशोक है जो कि सही नाम है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूमियों के राजस्व रेकर्ड मे आसुराम पुत्र मोतीराम के स्थान अशोक पुत्र मोतीराम दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार लूणी को इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/2024/724 दिनांक 13.12.2024 के द्वारा जवाब/जांच हेतु लिखा गया। तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2025/1922 दिनांक 25.06.2025 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार लूणी की जांच रिपोर्ट के अनुसार ग्राम ग्राम मोगड़ा कल्ला के खसरा नंबर 381/1 रकवा 4.4677 हैक्टेयर एंव खसरा संख्या 383 रकवा 4.7834 हैक्टेयर एवं ग्राम शेखानाडा के खसरा संख्या 447/299 रकवा 1.9554 हैक्टेयर में खातेदार आसूराम पुत्र मोतीराम हिस्सा 1/3 जाति जाट सा. देह वगैरह शेष वदस्तूर जमावंदी दर्ज है। ग्राम मोगड़ा कल्ला के नामान्तकरण संख्या 1048 के जरिये मोतीराम फौत के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज हुआ जिसमें आसूराम पुत्र मोतीराम दर्ज है। बयान गवाहान् एवं मजमे आम में पूछताछ एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी आसूराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर आसूराम उर्फ अशोक पुत्र मोतीराम राजस्व रेकर्ड में शुद्ध दर्ज करवाने की अनुशंषा की गयी है।

पत्रालवी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को उक्त सहखातेदारी कृषि भूमि अपने पिता से उत्तराधिकारी में प्राप्त हुई है जिसमें वह सहखातेदार व कब्जाकाश्त है। नामान्तकरण संख्या 1048 के जरिये मोतीराम के फौत के स्थान पर उनके वारिसान का नाम दर्ज हुआ जिसमें आसूराम पुत्र मोतीराम दर्ज है। पत्रावली में उपलब्ध पहचान एवं पते के समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम अशोक पुत्र मोतीराम है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार लूणी की रिपोर्ट एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम शेखानाडा तहसील लूणी के खसरा नंबर 447/299 एवं ग्राम मोगड़ा कल्ला तहसील लूणी, के खसरा नंबर 381/1 व 383 के राजस्व रेकर्ड में खातेदार का नाम आसूराम पुत्र मोतीराम के स्थान पर आसूराम उर्फ अशोक पुत्र मोतीराम रेकर्ड दुरस्ती का अमल दरामद करें। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी